XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

09.09.2011

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
बासगीत पर्चा वाद संख्या–67 / 2004
धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट अन्तर्गत

1. श्रीमती शान्ता देवी, पति–नरेश चन्द्र मेहता
2. श्रीमती पार्वती देवी, पति–दिनेश चन्द्र मेहता
3. श्रीमती वीणा देवी, पति–रामदेव मेहता

सभी का साकिन–प्राणपट्टी, थाना–के0 नगर, जिला–पूर्णियाँ.................. आवेदकगण

बनाम्

1. महेन्द्र प्रसाद साह, पिता–हरि साह
2. रमेन्द्र प्रसाद साह, पिता–हरि साह
3. सुन्दर प्रसाद साह, पिता–हरि साह
4. रामचन्द्र प्रसाद साह, पिता–हरि साह

साकिन–चम्पानगर, थाना–के0 नगर, जिला–पूर्णियाँ........... विपक्षीगण संख्या–1

5. भूपेन्द्र मेहता, पिता–स्व0 मोहन लाल मेहता
6. श्रीमती रेखा देवी, पिता–स्व0 मोहन लाल मेहता
7. विवेकानन्द मेहता, पिता–स्व0 मोहन लाल मेहता
8. अरूण मेहता, पिता–स्व0 मोहन लाल मेहता
9. नृपेन्द्र कुमार मेहता, पिता–स्व0 मोहन लाल मेहता
10. अभिनन्दन मेहता, पिता–स्व0 मोहन लाल मेहता
11. श्रीमती रेणी देवी, पिता–स्व0 मोहन लाल मेहता

सभी का साकिन–प्राणपट्टी, थाना–के0 नगर, जिला–पूर्णियाँ.................. विपक्षीगण संख्या–2

आदेश

अंचलाधिकारी, के0 नगर द्वारा बासगीत पर्चा वाद संख्या–6 / 87–88 में पारित आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह वाद प्रारम्भ किया गया है।

आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत जमीन खाता संख्या–930, मौजा–कोहबरा, खेसरा संख्या–5205 एवं 5206, रकवा–0.06 डिसमिल जमीन का बासगीत पर्चा विपक्षी संख्या–1 ने अंचल कार्यालय को मेल में लेकर बनवा लिया है, जबकि उक्त भूमि आवेदक ने ज्ञानचन्द्र प्रसाद साह से खरीदा था। आवेदक जमीन खरीदने के बाद जब खेती करने के लिये उक्त जमीन पर गया तो विपक्षी संख्या–1 ने आवेदक को जमीन जोतने से मना कर दिया और कहा कि इस जमीन का बासगीत पर्चा मेरे नाम से बना है। इस प्रकार बिना किसी औपचारिकता को पूरा किये बगैर अंचलाधिकारी द्वारा गलत ढंग से बासगीत पर्चा निर्गत किया गया। उल्लेखनीय है कि विपक्षीगण संख्या–1 के दादा बिहारी साह के पास 25 एकड़ से अधिक भूमि है। इसके अतिरिक्त बिहारी साह के नाम मकानमय सहन के रूप में मौजा–मसुरिया, खाता संख्या–773, खेसरा संख्या–5148 भी है और इसी जमीन पर

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

विपक्षीगण का घर भी है। बिहारी साह के मृत्यु के उपरान्त उनकी सारी सम्पत्ति का वारिस विपक्षीगण ही है। इस प्रकार अंचलाधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति के नाम पर्चा निर्गत किया गया, जिसे किसी भी चीज की कमी नहीं है।

अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन कर उनके द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की कृपा की जाय।

अंचलाधिकारी, के0 नगर द्वारा जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि पर्चावाली जमीन के बगल में पर्चाधारी का पक्का मकान है और पर्चावाली जमीन का उपयोग आँगन तथा बाड़ी झाड़ी के लिये किया जा रहा है। जमीन पर्चाधारी के दखल कब्जा में है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 15.07.2011 को दोनों पक्ष को सुना गया। विपक्षी के दादा के नाम से 25 एकड़ से ज्यादा जमीन है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन में विपक्षी को अपना घर अलग होने का जिक्र है। इस विवादित जमीन पर उनका दखल--कब्जा होने की बात आवेदक के द्वारा किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि इस वाद में आवेदक को भी अनिवार्य रूप से पक्ष बनाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। विपक्षी का यह भी कथन है कि बासगीत पर्चा निर्गत होने के बाद आवेदक के द्वारा जमीन क्रय की कागजात तैयार किया गया है। विपक्षी का यह भी कहना है कि वे एक प्रश्रय प्राप्त रैयत है एवं विवादित जमीन पर उनका दखल--कब्जा है। इस आधार पर ही अंचलाधिकारी के द्वारा उन्हें बासगीत पर्चा निर्गत किया गया है।

पुनः दिनांक 09.09.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई से स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन पर पर्चाधारी का दखल--कब्जा है एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इस आदेश में किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। इस आदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ